

पत्रांक-15/नीति नि०-07-01/2017 का०- 6629

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
सभी विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 30.5.17

विषय:- माननीय न्यायालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय में उचित परिधान में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

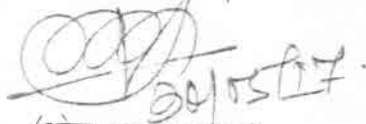
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महाधिवक्ता कार्यालय के पत्रांक-4600 दिनांक-18.04.2017 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की गरिमा को दृष्टिपथ में रखते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय में उचित परिधान में ही उपस्थित होने का निदेश संसूचित किया गया है, जिसमें यह भी उल्लिखित है कि किसी भी परिस्थिति में कोई पदाधिकारी/कर्मचारी माननीय न्यायालय में कैजुअल ड्रेस, यथा- जीन्स, फैंसी शर्ट, टी शर्ट, रंगीन चश्मे, रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर उपस्थित नहीं हों।

साथ ही उक्त पत्र के द्वारा यह भी निदेशित किया गया है कि कोर्ट रूम में उपस्थिति के दौरान क्रास लेग में नहीं बैठा जाय।

अनुरोध है कि उक्त दिशा-निदेशों का अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,



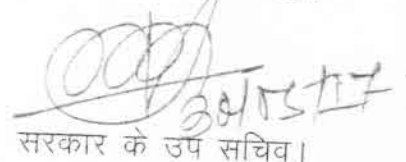
(ओम प्रकाश साह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-15/नीति नि०-07-01/2017 का०- 6629 राँची, दिनांक-

30.5.17

प्रतिलिपि- महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को उनके पत्रांक-4600 दिनांक-18.04.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।